

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक. एफ 7(139)परि / नियम / मु. / ११/II/2007 / १४६६८

जयपुर, दिनांक:- ०३/०८/२०१५


कार्यालय आदेश २५ / २०१५

शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने में लगे तिपहिया वाहनों की नियमित एवं प्रभावी जांच के संबंध में—

स्कूली बच्चों के चर्चल एवं जिज्ञासु रूपमान के कारण इनका परिवहन ऑटो रिक्षा द्वारा संस्थान प्रतीत नहीं होता है फिर भी तिपहिया वाहनों में स्कूली बच्चों को लाया ले-जाया जाए है तो राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 के उप-नियम 4(क) में वर्णित शर्तों के अनुरूप यान में ले जाये जाने वाले स्कूली बच्चों की संख्या यान की बैठक क्षमता से छोड़ दी जानी से अधिक नहीं होगी।

अतः समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने में कार्यरत तिपहिया वाहनों की प्रभावी वैकिंग कराएं एवं अतिभरण के प्रतिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कठोर (परमिट / पंजीयन / चालक लाईसेंस गिलम्बन आदि) कार्यवाही अमल में लायी जावे। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक की भूमि कार्यवाही रो नियमित रूप से अपर परिवहन आयुक्त (स.सु. एवं प्रवर्तन) को अवगत कराया जावें।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लिया जावेगा।



क्रमांक: एफ 7(139)परि / नियम / मु. / ११/II/2007 / १४६६९-६७५

जयपुर, दिनांक:- ०३/०८/२०१५

प्रतिलिपि:-

1. निजी राचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राज. जयपुर।
2. अपर परिवहन आयुक्त (स.सु. एवं प्रवर्तन)।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक / अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय रिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. राजीत पत्रावली।

  
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)